

**वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)**

भाग- 2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या :- FP/CG/Other/36479/2018

7-	परियोजना/स्कीम का स्थान	छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले में दंतेवाड़ा वनमंडल के अंतर्गत प्रस्तावित भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय भवन निर्माण हेतु. परिक्षेत्र दंतेवाड़ा कक्ष क्रमांक 1373 रकबा 0.262 हे० क्षेत्र की न्यूनतम मांग है।
i.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
ii.	जिला	दंतेवाड़ा
iii.	वन प्रभाग	दंतेवाड़ा वनमण्डल दंतेवाड़ा,
iv.	वनोत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र है	0.262 हैं.
v.	वन की कानूनी स्थिति	
	(क) सीमांकित संरक्षित वन	0.262 हेक्टेयर
	(ख) सीमांकित आरक्षित वन	हेक्टेयर
	(ग) असीमांकित संरक्षित वन	हेक्टेयर
	(घ) राजस्व वन क्षेत्र	हेक्टेयर
	योग :-	0.262 हेक्टेयर
vi.	हरियाली का घनत्व	मिश्रित, घनत्व 0.4, साइट क्वालिटी III
vii	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल., एफ.एफ.आर. एल.-2 मी. परिगणना और एफ.आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाए।	आवेदित क्षेत्र में सागौन 01 नग, गोलाई-1.5 मी. एवं 01 नग गुलर, गोलाई-3.05 मी. कुल-02 नग वृक्ष विद्यमान है, जिसे काटने की आवश्यकता नहीं है।
vii i.	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशील पर संक्षिप्त टिप्पणी	आवेदित वनभूमि वन भूमि मृदा वर्गीकरण के पांचवे श्रेणी में आता है. जिसमें फसल उत्पादन की संभावना कम है एवं मृदा क्षरण की संभावना नहीं है। अतः उक्त भूमि आवेदित परियोजना हेतु दिया जा सकता है।
ix.	वनोत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी.	वन भूमि के भितर

	x.	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य, जैब मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबंधित की जाए)	नहीं है
	xi.	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती हैं, यदि हाँ/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें।	नहीं
	xii	क्या कोई सुरक्षित पुरात्त्ववीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	भारतीय जीवन बीमा निगम भवन निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि के अन्तर्गत कोई भी सुरक्षित पुरात्त्ववीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र नहीं है।
8		प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जाँचे गये विकल्पों के ब्यौरे सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	प्रस्तावित वनभूमि परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है
9		क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं।	नहीं
10		प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	
	i.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या	-

		प्रत्येक भूखण्ड का आकार।	
	ii.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर/ अवक्रमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	
	iii.	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।	
	iv.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।	—
	v.	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)	—
11		जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi,xii), 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	आवेदित क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ नहीं पाई जाती हैं न ही आवेदित क्षेत्र में कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। वनभूमि की मांग प्रस्तावित परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है।
12-		विभाग/जिला प्रोफाईल	
	i.	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	3583.01 वर्ग कि.मी.
	ii.	जिले का वनक्षेत्र	वनमण्डल का वनक्षेत्र
		आरक्षित वन	642.022 वर्ग कि.मी.
		संरक्षित वन	408.717 वर्ग कि.मी.
		असीमांकित वन	191.766 वर्ग कि.मी.
		योग :-	1242.505 वर्ग कि.मी.
	iii.	मामलो की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र।	19 मामलों में 3217.624 हैं.
	iv.	1980 में जिला/प्रभाग में	

		निर्धारित कुल प्रतिपूरक:	
		क. दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि।	
		ख. वनेत्तर भूमि पर।	
	v.	तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :-	
		क. वनभूमि।	
		ख. वनेत्तर भूमि पर	
13		प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	छत्तीसगढ़ राज्य के दन्तेवाड़ा जिले में दन्तेवाड़ा वनमंडल के अंतर्गत प्रस्तावित भारतीय जीवन बीमा निगम कार्यालय भवन निर्माण हेतु परिक्षेत्र दन्तेवाड़ा कक्ष क्रमांक 1373 रकबा 0.262 हे० क्षेत्र की न्यूनतम मांग है।

दिनांक : 17/09/2020

स्थान : दन्तेवाड़ा

संदीप बलगा (भा.व.से.)
वनमंडल अधिकारी
दन्तेवाड़ा वनमंडल, दन्तेवाड़ा.